UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का नागरिक घोषणा पत्र(चार्टर)

www.ukpsc.gov.in

प्राक्कथन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में कृत्यों के संबंध में (Relating to the functions of Public Service Commission) की गई अपेक्षा के अनुरूप उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के नागरिक–घोषणा पत्र को सामाजिक पटल पर प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है।

नागरिक घोषणा–पत्र हमारे उन प्रयासों, कार्यों तथा लक्ष्यों की अभिव्यक्ति है, जिन्हें प्राप्त किये जाने का स्वप्न भारतीय संविधान के निर्माताओं ने उदीयमान राष्ट्र के लिए देखा था। उस अपेक्षा के अनुरूप ही हम विभिन्न चयन में सम्मिलित परीक्षाओं/साक्षात्कारों के दौरान अभ्यर्थियों में उनके मूल, जाति, धर्म, लिंग तथा व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर कोई विभेद नहीं करते हैं तथा समस्त चयन प्रक्रियाओं को पूर्ण निष्पक्षता, उत्कृष्टता एवं पारदर्शिता से सम्पन्न कर अपने "परामर्श व संस्तुति" शासन को प्रेषित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हम यह भी विश्वास दिलाते हैं कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग निर्धारित कार्यों को स्थापित मानकों व मापदण्डों से पूर्ण करते हुए उनमें गुणात्मक वृद्धि करने का सतत् प्रयास करता रहेगा। आयोग का यह भी निवेदन है कि नागरिक घोषणा–पत्र की सफलता समाज के प्रबुद्ध वर्ग के सक्रिय सहयोग तथा त्वरित फीड बैक (युक्ति–युक्त सुझाव/परामर्श) पर निर्भर करेगी। इन्हीं आशाओं के साथ हम अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कृत संकल्प हैं।

मेजर जनरल ए0एस0 रावत (सेवानिवृत्त),
Y.S.M, S.M,V.S.M
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
03/07/2018

नागरिक घोषणा पत्र

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद–315(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के महामहिम राज्यपाल की राजाज्ञा दिनांक 14.03.2001 द्वारा स्थापित एवं दिनांक 15.05.2001 से कार्यशील है। आयोग, उत्तराखण्ड के लिए राजकीय सेवाओं में चयन हेतु संस्तुति प्रदान करने एवं सेवा सम्बन्धी विविध प्रकरणों पर राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करने वाली शीर्ष संवैधानिक संस्था है। आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में अपेक्षित सुधार और समुन्नति के लिए यह नागरिक घोषणा पत्र जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है।

दृष्टि

राजकीय सेवाओं हेतु गुणवत्तायुक्त मानव संसाधन तथा सेवा सम्बन्धी प्रकरणों पर राज्य सरकार को इस प्रकार परामर्श उपलब्ध कराना ताकि कुशल, प्रभावी व संवेदनशील शासन व्यवस्था के संचालन में सहयोग सुनिश्चित किया जा सके।

लक्ष्य

- राजकीय सेवा में भर्ती हेतु अधिकाधिक संख्या में युवा वर्ग तक वेबसाइट, समाचार पत्र व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुँच बनाना।
- राजकीय सेवा हेतु समाज के सभी वर्गों से उत्कृष्ट लोक सेवकों का चयन।
- निष्पक्ष व पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाकर लोक सेवकों में भावी सेवा के प्रति कर्तव्यपरायणता व निष्ठा का दृष्टिकोण पैदा करना।
- उत्कृष्ठता की कसौटी पर आधारित चयन प्रक्रिया अपनाकर समाज में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार करना।
- राज्य को सेवा सम्बन्धी प्रकरणों में त्वरित व गुणवत्तापूर्ण परामर्श प्रदान करके सरकारी सेवा को सुचारू बनाए रखने में सहयोग प्रदान करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा कार्यप्रणाली को सरल, त्रुटिरहित व उपयोगकर्ता के अनुकूल(User Friendly) बनाना।

हमारे मुख्य क्रियाकलाप तथा सेवाएं

आयोग के कार्य संचालन के प्रमुख आधार स्रोत भारत का संविधान (अनु. 315–323), शासन से निर्गत नियमावलियां, विनियम, आयोग का मैनुअल, समय–समय पर आयोग द्वारा पारित निर्णय व आयोग अधिष्ठान विषयक नियमावलियां तथा आयोग से सम्बन्धित अन्य शासनादेश हैं।

संविधान के अनु.–320 के अन्तर्गत आयोग द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैं:–

(1) चयन से सम्बन्धित कार्य–

(क) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा।

(ख) केवल लिखित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा।

(ग) केवल साक्षात्कार द्वारा।

(घ) प्रोन्नति द्वारा।

(2) अन्य कार्य–

(क) विभिन्न राज्य सेवाओं की सेवा नियमावलियों के प्रख्यापन के पूर्व आयोग का परामर्श।

(ख) अनुशासनिक प्रकरणों पर परामर्श।

(ग) सेवा संबंधी अन्य कोई प्रकरण जो शासन द्वारा आयोग को परामर्श हेतु संदर्भित किया जाय।

(1) चयन से सम्बन्धित कार्य :–

(क) <u>लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा–</u> उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग विभिन्न राज्य सेवाओं में चयन के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है, जिनमें मुख्य हैं :–

1. उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, (सिविल सेवा– कार्यवारी सेवा, पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी, सहायक आयुक्त वाणिज्यकर, सहायक निरीक्षक उद्योग, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक कमान्डेण्ट होमगार्ड, उपनिबन्धक–स्टाम्प एवं पंजीकरण, कृषि अधिकारी, उद्यानिकी अधिकारी, सूचना अधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी),
2. उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा,
3. सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा,
4. सहायक अभियन्ता परीक्षा,
5. संयुक्त अवर/कनिष्ठ अभियंता परीक्षा,
6. सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा,
7. वनक्षेत्राधिकारी परीक्षा,
8. सहायक कुलसचिव,
9. आर0आई0/ए0आर0आई0 (टेक्नीकल) परिवहन परीक्षा,
10. शोध अधिकारी परीक्षा,
11. अर्थ एवं संख्याधिकारी परीक्षा,
12. सहायक वन संरक्षक परीक्षा।

(ख) <u>केवल लिखित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा–</u> उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग विभिन्न राज्य सेवाओं में चयन के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है, जिनमें मुख्य हैं :–

1. समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी,
2. अपर निजी सचिव परीक्षा।

(ग) केवल साक्षात्कार द्वारा :– .उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग विभिन्न राज्य स्तरीय सेवाओं में चयन के लिए साक्षात्कार आयोजित करता है। परन्तु यदि रिक्त पदों के सापेक्ष मानक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो साक्षात्कार से पूर्व एक छंटनी परीक्षा (Screening Examination) का आयोजन किया जाता है, जिनमें मुख्य हैं–

1. प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कॉलेज/राजकीय महाविद्यालय,
2. चिकित्सा अधिकारी ऐलोपैथिक/आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक,
3. दन्त शल्यक,
4. पशुचिकित्सा अधिकारी/चारा विकास अधिकारी,
5. अर्थ एवं संख्या निरीक्षक,
6. जिला क्रीड़ा अधिकारी/उप क्रीड़ा अधिकारी/सहायक प्रशिक्षक।

(घ) प्रोन्नति द्वारा :– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग विभिन्न सेवाओं के उन पदों पर प्रोन्नति द्वारा चयन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली–2003 के अनुसार करता है, जिन पर सामान्यतः सीधी भर्ती द्वारा चयन उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। इस प्रकार समूह 'ग' से 'ख', समूह 'ख' के अन्तर्गत (अर्थात् समूह 'ख' से 'ख' में ही) तथा समूह 'ख' से समूह 'क' की सेवा में प्रोन्नति की जाती है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यगण विभागीय प्रोन्नति समिति(डी0पी0सी0) की बैठक की अध्यक्षता करते हैं तथा सम्बन्धित पद के नियुक्ति प्राधिकारी व दी गयी व्यवस्था के क्रम में शासन के ज्येष्ठ अधिकारी (अपर सचिव से न्यून नहीं) बैठक में सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। प्रोन्नति द्वारा चयन का मापदण्ड सम्बन्धित पद की सेवा नियमावली के अनुसार निर्धारित होता है। आयोग द्वारा जिन पदों पर प्रोन्नति द्वारा चयन किया जाता है, उनमें मुख्य है :–

1. सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा),

2. पुलिस उपाधीक्षक,
3. सहायक आयुक्त वाणिज्यकर,
4. सहायक श्रमायुक्त,
5. सहायक परिवहन अधिकारी,
6. जिला आबकारी अधिकारी,
7. मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
8. उपप्रधानाचार्य,
9. प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कॉलेज,
10. वन क्षेत्राधिकारी,
11. सहायक वन संरक्षक।

(2) अन्य कार्य :–

(क) विभिन्न राज्य सेवाओं की सेवा नियमावलियों के प्रख्यापन के पूर्व आयोग का परामर्श– शासन द्वारा राज्य सेवा के उन पदों की सेवा नियमावलियां जिनमें आयोग की परिधि के पद विद्यमान होते हैं, उनमें परिवर्तन अथवा नवीन उपबन्ध जोड़े जाने की स्थिति में आयोग से परामर्श प्राप्त किया जाता है।

(ख) अनुशासनिक प्रकरणों पर परामर्श –

राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के सेवा सम्बन्धी अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों पर दण्ड आरोपित किये जाने से पूर्व आयोग से परामर्श प्राप्त किया जाता है। आयोग द्वारा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 के सुसंगत प्राविधानों के अधीन परामर्श प्रदान किया जाता है।

(ग) सेवा सम्बन्धी अन्य प्रकरण –

राज्य सरकार द्वारा आयोग की परिधि के अन्तर्गत आने वाले पदों में सेवा सम्बन्धी विविध विषयों पर, जहां आवश्यक हो, परामर्श प्राप्त किया जाता है।

चयन प्रक्रिया :–

- सभी परीक्षाओं का विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख हिन्दी तथा अंग्रेजी के दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। यह सम्पूर्ण सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर भी उपलब्ध करायी जाती है। तद्नुसार अभ्यर्थीगण द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाता है।
- प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा विज्ञापन की शर्तों के आधार पर की जाती है (सन्निरीक्षा सम्बन्धी नियम व अनुदेश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) तथा सन्निरीक्षा नियमावली के अनुसार अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों को अस्वीकृत ज्ञाप एवं अर्ह घोषित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार की सूचना हेतु कार्यालय ज्ञाप प्रेषित किया जाता है। अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाती है।
- लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के सम्बन्ध में सूचना विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है।
- आयोग द्वारा घोषित चयन परिणाम विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों के साथ–साथ वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक भी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना प्रारम्भ किया जा रहा है।
- **आरक्षण सम्बन्धी प्राविधान**– आयोग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित शासनादेशों के अनुसार विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों को आरक्षण प्रदान करता है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के आरक्षण सम्बन्धी उन्हीं दावों को स्वीकार किया जाता है, जो आवेदन

पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरे जाते हैं तथा जिनके समर्थन में सक्षम प्राधिकृत स्तर से जारी प्रमाण–पत्र संलग्न होते हैं।

- **ऑनलाइन आवेदन** – उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों हेतु इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमन्त्रित किये जाने हेतु System Of Online Application & Processing (SOAP) विकसित किया गया है। इसे आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में लागू किया जा रहा है। इसके माध्यम से अभ्यर्थी सीधे इन्टरनेट पर ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप पत्र भर सकेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया को One Time Registration (O.T.R.) System से क्लब किया गया है। इस प्रक्रिया को अपनाने से ऑनलाइन आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा का कार्य त्वरित गति से सम्पन्न होगा।

- **One Time Registration (O.T.R.) System** - ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में CSC e-Governance Services India Ltd. (CSC SPV) Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY), नई दिल्ली द्वारा सन्निरीक्षा की कठिनाइयों को दूर करने एवं चयन प्रकिया को शीघ्रता से संपादित करने के दृष्टिगत One Time Registration (O.T.R.) विकसित किया गया है। इस पंजीकरण (O.T.R.) के तहत कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षिक योग्यताओं, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी, अधिमानी योग्यताओं के साथ सभी प्राथमिक सूचनाओं सहित आयोग में पंजीकृत हो जायेगा। आयोग द्वारा किसी पद के विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने पर अभ्यर्थी का उपरोक्त विवरण स्वतः ही अंकित हो जायेगा। पद के विज्ञापन की मांग के अनुसार अन्य सूचनायें अभ्यर्थीगण द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की जायेंगी। इससे आवेदन करने में त्रुटियों को न्यूनीकृत करते हुए चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है।

- **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी** – उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सूचनाओं के तीव्र सम्प्रेषण एवं पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग कर रहा है। इस क्रम में आयोग में इन्टरनेट लीज लाइन की स्थापना की गयी है तथा अभ्यर्थियों को रिजल्ट इंक्वायरी व प्रवेश–पत्र डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गयी है।

हमारे स्तर / मानदण्ड

हम आयोग द्वारा प्रदत्त सेवाओं में निम्नलिखित समय–मानक अपनाएंगे :–

- सीधी भर्ती के ऐसे प्रकरण जिसमें मात्र साक्षात्कार द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी की जानी है, **विधिक अड़चन न होने की दशा में**, आयोग में अधियाचन (रिक्तियों के सम्यक् विवरण, आरक्षण की पूर्ण स्थिति व अद्यतन सेवा नियमावली सहित) प्राप्ति की तिथि से पद एवं अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए 09 महीने के अन्तर्गत निस्तारण,
- सीधी भर्ती के ऐसे प्रकरण जिसमें मात्र स्क्रीनिंग टेस्ट तथा साक्षात्कार द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी की जानी है, **विधिक अड़चन न होने की दशा में**, आयोग में अधियाचन (रिक्तियों के सम्यक् विवरण, आरक्षण की पूर्णस्थिति व अद्यतन सेवा नियमावली सहित) प्राप्ति की तिथि से 18 महीने के अन्तर्गत निस्तारण,
- सीधी भर्ती के ऐसे प्रकरण जिसमें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार किया जाना हो, **विधिक अड़चन न होने की दशा में**, अधियाचन (रिक्तियों के सम्यक् विवरण, आरक्षण की पूर्ण स्थिति व अद्यतन सेवा नियमावली सहित) प्राप्ति की तिथि से 24 महीने के अन्तर्गत निस्तारण,
- विभागीय प्रोन्नति के त्रुटिरहित प्रकरण में **विधिक अड़चन न होने की दशा में**, आयोग में अधियाचन (रिक्तियों के सम्यक् विवरण, आरक्षण की पूर्ण स्थिति व अद्यतन सेवा नियमावली सहित) प्राप्ति की तिथि से 03 महीने के अन्तर्गत निस्तारण,
- सेवा नियमावली विषयक प्राप्त त्रुटि रहित सन्दर्भों का निस्तारण, **विधिक अड़चन न होने की दशा में**, आयोग में प्राप्त संदर्भ की तिथि से 02 महीने के अन्तर्गत निस्तारण,

- शासन द्वारा प्रेषित अनुशासनात्मक कार्यवाही विषयक परामर्श के परिपक्व प्रकरणों (त्रुटि रहित) का **विधिक अड़चन न होने की दशा में**, 02 महीने के अन्तर्गत निस्तारण,
- सूचना के अधिकार सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों का अधिनियम में विहित अवधि 01 महीने के अन्तर्गत तथा अपीलों का निर्देशित अवधि के अन्तर्गत निस्तारण,
- मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश का निर्देशित अवधि के अन्तर्गत अनुपालन।